



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(MPSEIAA)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल - 462016 (म.प्र.)
दूरभाष नं. 0755-2460104, 9425301366

No 91 /SEIAA/2026

दिनांक- 16.10.2026

प्रति,
मुख्य सचिव,
म.प्र. शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र. ।

विषय - श्री अनिरुद्ध मुखर्जी अपर मुख्य सचिव एवं श्री हर्षल पंचोली सदस्य सचिव द्वारा SEIAA के कार्य को बाधित किए जाने, पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने, गंभीर अनियमितताएं करने के कारण इन्हें निलंबित कर, इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत ।

संदर्भ - अध्यक्ष SEIAA का पत्र क्र. 81/SEIAA/2026 दिनांक 10.09.26, 82/SEIAA/2026 दिनांक 15.09.26, 84/SEIAA/2026 दिनांक 21.09.26, 85/SEIAA/2026 दिनांक 24.09.26, 86/SEIAA/2026 दिनांक 30.09.26 एवं 87/SEIAA/2026 दिनांक 05.10.26

श्री अनिरुद्ध मुखर्जी अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण के साथ ही DG, EPCO के पद पर पदस्थ हैं। श्री हर्षल पंचोली सदस्य सचिव, SEIAA के पद पर पदस्थ हैं। इनके द्वारा आपराधिक षडयंत्र रच कर पर्यावरण कानून एवं विधिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है तथा SEIAA के कार्य को खुले रूप से बाधित किया जा रहा है।

2. SEIAA के कार्य को बाधित करने के लिए इनके द्वारा विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अध्यक्ष के कक्ष का Internet बंद कर दिया गया। SEIAA का portal तीन माह से बंद है। SEIAA का कार्य जानने वाले स्टाफ को हटाकर ऐसे स्टाफ को पदस्थ किया गया जो सक्षम नहीं हैं। जिन कर्मचारियों ने निष्ठा एवं समर्पण से SEIAA का कार्य किया, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। श्री अश्विनी कुमार, जो भारत सरकार द्वारा पदस्थ किए गए थे, उन्हें हटाने के लिए श्री मुखर्जी ने भारत सरकार को D.O. letter भेजा एवं सचिव, भारत सरकार को बार-बार फोन कर उनकी सेवा समाप्त करवा दी। श्रीमती पूनम झा कार्यालय सहायक को सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया गया।

3. अध्यक्ष के निज सहायक के रूप में श्री रजनीश, पुस्तकालय सहायक को पदस्थ किया गया (अनुलग्नक क्र. 1)। वह टाइप करना नहीं जानते हैं, जिसे श्री रजनीश ने स्वयं स्वीकार किया है (अनुलग्नक क्र. 2 (Video))। भृत्य के रूप में श्री वकील पवार को पदस्थ किया गया है, जो कैंसर के रोगी हैं एवं चल-फिर नहीं सकते (Movement करने में दिक्कत है) (अनुलग्नक क्र. 3 (Video))।

4. SEIAA के स्टाफ को ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है। एक वर्ष में 20 से अधिक बार स्टाफ में बदलाव किया गया है (अनुलग्नक क्र. 4)।

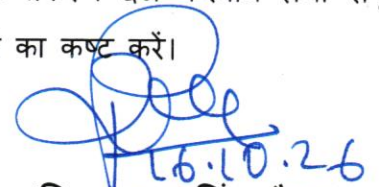
5. MS द्वारा SEIAA की बैठकें नियमित रूप से नहीं की जाती हैं, उन्हें बार-बार Reschedule किया जाता है, कार्यवाही विवरण (MoM) समय पर तैयार नहीं किया जाता तथा SEIAA द्वारा EC grant कर देने के बाद भी EC letter जारी नहीं किए जाते हैं।

6. पर्यावरण विभाग में पदस्थ प्रमुख सचिव श्री नवनीत मोहन कोठारी एवं सदस्य सचिव द्वारा 237 Deemed EC जारी कर दी गई, जबकि कानून में Deemed EC का कोई प्रावधान नहीं है। EC जारी करने का अधिकार केवल भारत सरकार एवं SEIAA को ही प्राप्त है।

7. पर्यावरण विभाग में पदस्थ प्रमुख सचिव एवं अपर मुख्य सचिव ने पर्यावरण कानून का उल्लंघन कर तथा SEIAA के कार्य को बाधित कर अपराध की एक श्रृंखला बना ली है। इस श्रृंखला में तत्कालीन सदस्य सचिव श्रीमती उमा महेश्वरी एवं वर्तमान सदस्य सचिव श्री हर्षल पंचोली भी सहभागी रहे हैं, जिन्होंने प्रमुख सचिव एवं अपर मुख्य सचिव के साथ मिलकर आपराधिक कृत्य किया है।

8. अतः आपसे अनुरोध है कि संपूर्ण प्रकरण राज्य शासन एवं भारत सरकार के संज्ञान में लाकर श्री अनिरुद्ध मुखर्जी, अपर मुख्य सचिव, श्री हर्षल पंचोली, सदस्य सचिव, Deemed EC जारी करने वाले अधिकारी श्री नवनीत मोहन कोठारी एवं तत्कालीन सदस्य सचिव, SEIAA को तत्काल निलंबित कर इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने तथा संपूर्ण घोटाले (SCAM) से संबंधित कृत्यों एवं अभिलेखों की CBI जांच करवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- अनुलग्नक क्र. 1 से 4


(शिवनारायण सिंह चौहान)

अध्यक्ष, SEIAA

पृ. क्रमांक – 91A /SEIAA/2026/

दिनांक - 16.10.2026

प्रतिलिपि

1. सचिव भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली.- 110003 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. डॉ सुनंदा सिंह जी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण म.प्र. को सूचनार्थ।


(शिव नारायण सिंह चौहान)

अध्यक्ष, SEIAA